

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई 2026 — आषाढ़ 18, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक Rule/572/2026-GAD-3.— छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 09.07.2024 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न तालिका अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनर्गठन करती है:-

तालिका

स.क्र.	समिति में नामांकित अधिकारीगण	अध्यक्ष/सदस्य
(1)	(2)	(3)
1.	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़	सदस्य
3.	संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़	सदस्य
5.	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव
6.	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ अधिकारी	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th July 2026

NOTIFICATION

No. Rule/572/2026-GAD-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status certification) Act, 2013(No.13 of 2013) and in supersession of this Department's Notification No. F 13-23/2012/R.C./1-3, dated 09.07.2024, the State of Government, hereby, reconstitutes the High Power Certification Scrutiny Committee, table as follows:-

TABLE

S.No.	Nominated Officers in the Committee	Chairman/Member
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary-in-Charge, Government of Chhattisgarh, Scheduled Tribal and Scheduled Castes Development Department	Chairman
2.	Director, Public Instructions, Chhattisgarh.	Member
3.	Director, Land Records, Chhattisgarh.	Member
4.	Commissioner, Scheduled Tribal and Scheduled Castes Development, Chhattisgarh.	Member
5.	Director, Scheduled Tribal Research and Training Institute, Chhattisgarh.	Member -Secretary
6.	Two Subject expert officers nominated by Director, Scheduled Tribal Research and Training Institute, Chhattisgarh.	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.